# श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल म.प्र भोपाल

(मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी)

93

अपील – 6396/2018/धार/स्टांप अधि०

1. सुरेश पिता बाबुलाल प्रजापति,
2. सुनिता पति सुरेश प्रजापति,

दोनो निवासी–06, जयप्रकाश मार्ग,
कुम्हार गड्डा, जिला धार (म.प्र.) ........................अपीलांट

विरूद्ध

1. जिला पंजीयक धार,
2. कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प, जिला धार,
3. पार्वतीबाई पति स्व. सोमा, जातिः–माली,
4. आशाबाई पति मनसुख, जातिः–माली,
5. कन्हैया पिता स्व. सोमा, जातिः– माली
6. हुकुमचन्द पिता स्व. सोमा

रिस्पॉन्डेन्ट कमांक 03 से 06
निवासी :–05, कबीर मार्ग, काजीवाड़ा,
जिला धार :– (म.प्र.) ..........................रिस्पांन्डेट्स

श्री ........ द्वारा आज दि. 03.12.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 06.12.18 नियत।
3.12.18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

03/12/18

## अपील स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 40 की उपधारा (1) के खंड (ड़) के अतंर्गत

माननीय न्यायालय

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान उपमहानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय इन्दौर के अपील प्रकरण कमांक 01/उ.म.नि.पं./2018 दिनांक 27.08.2017 से व्यथित होकर निम्नानुसार अपील सादर प्रस्तुत है–

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 6396/2018/धार/स्टाम्प अधि.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 27-12-2018 | अपीलार्थी की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 1 व 2 शासन की ओर से श्री एस.एस. धाकड़, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री प्रखर ढेंगुला, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता के बिन्दु पर उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये गये । उप महानिरीक्षक पंजीयन के आदेश का अवलोकन किया गया । उप महानिरीक्षक द्वारा संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं होने से अपील अग्राह्य की जाती है ।<br>अध्यक्ष | |